न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
100 / 2022 प्रा.पत्र / 2022	22.11.2022	04.07.2025

डॉ.मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.............प्रार्थी

बनाम

1–श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी एफ.बी.ओ. मैसर्स वासुदेव एन्टरप्राईजेज गली नं0 6 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक(राज0)निवासी गली नं0 6 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक राज0। पिनकोड–304021 मोबाईल नं0 8619648612

.......अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, नियम 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2– अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश अहलूवालिया उप.।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 04/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.07.2022 को समय 02:41 पी.एम. पर मैसर्स वासुदेव एन्टरप्राईजेज गली नं0 6 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विकेता की हैसियत से श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स वासुदेव एन्टरप्राईजेज गली नं0 6 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक पर खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला। श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विकय हेतु दुकान में स्वीट सुपारी, पान मसाला, कन्फैक्शनरी, खाद्य पदार्थ अलग–अलग ब्राण्ड आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **पान मसाला तानसेन ब्लयूज ब्राण्ड (Pan Masala Tenasen Blues Brand)** 145–145 ग्राम के 32 नग दुकान में कागज के कार्टन में आम जनता के विकय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विकेता को यह बताकर कि दुकान में कागज के कार्टून मे **पान मसाला तानसेन ब्लयूज ब्राण्ड (Pan**

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Masala Tenasen Blues Brand) रखे हुए 32 नग 145–145 ग्राम मूल पैक में से 145–145 ग्राम के 16 मूल पैक नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पान मसाला तानसेन ब्लयूज ब्राण्ड (Pan Masala Tenasen Blues Brand)** 16 नग प्रत्येक 145–145 ग्राम को ज्यों का त्यों कागज के गत्ते के डिब्बे में रखकर डिब्बे के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3219 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3219 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री वासुदेव सबनानी पुत्र श्री घनश्याम दास सबनानी एफ.बी.ओ. मैसर्स वासुदेव एन्टरप्राईजेज गली नं0 6 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक(राज0)निवासी ने मौके पर बतौर वारन्टी ने मौके पर कोई खरीद बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3299 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुंर से प्राप्त जांच रिर्पोट संख्या एल.एस./2379/एक्ट/2022/2695 दिनांक 31.08.2022 के अनुसार विकेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु कय किया गया **पान मसाला तानसेन ब्लयूज ब्राण्ड (Pan Masala Tenasen Blues Brand)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विकेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी श्री कैलाश अहलूवालिया उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **पान मसाला तानसेन ब्लयूज ब्राण्ड (Pan Masala Tenasen Blues Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **पान मसाला तानसेन ब्लयूज ब्राण्ड (Pan Masala Tenasen Blues Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 **(सहपठित धारा 49)** के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/7/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोक